म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 7315 /एनआरईजीएस.–एम.पी./एनआर–3/17/10 भोपाल, दिनांक 15/07/2010

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म.प्र.
जिला/जिला पंचायत – .....म.प्र.

विषय : महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म.प्र. के अंतर्गत श्मशान भूमि/कब्रिस्तान विकसित किये जाने हेतु **"शांतिधाम"** उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन के संबंध में।

––00––

1. **पृष्ठभूमि व उद्देश्य :**

1.1 विभिन्न सम्प्रदायों की धार्मिक आस्थाओं के अनुसार जन्म, विवाह आदि संस्कारों के साथ–साथ मृत्यु को भी एक संस्कार के रूप में प्रतिपादित किया गया है। प्रायः यह देखा गया है, कि ग्रामीण क्षेत्रों में श्मशान भूमि/कब्रिस्तान आबादी से दूर, मूलभूत सुविधाओं से विहीन, असुरक्षित एवं प्रदूषित होते हैं। वर्षा ऋतु में श्मशान भूमि पर शैड एवं सूखी लकड़ी के भण्डारण की समुचित व्यवस्था न होने के कारण जलती हुई चिता की लकडियाँ बुझ जाती हैं जिसके कारण दाह–संस्कार अधूरा रह जाता है/बाधित होता है। इसी प्रकार कब्रिस्तान में कीचड़ हो जाने से शव दफनाने में कठिनाई होती है। अतएव श्मशान भूमि/कब्रिस्तान में मूलभूत सुविधाओं जैसे – पानी, छाया, सूखी लकड़ी, प्लेटफार्म, स्वच्छ व पवित्र वातावरण आदि की व्यवस्था करने हेतु उपयोजना **"शांतिधाम"** का क्रियान्वयन किया जाना है।

1.2 उक्त उपयोजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अनुसूची – 1 के पैरा 1 (vi) भूमि विकास कार्य, 1 (ii) वृक्षारोपण कार्य, 1 (i) जल संरक्षण व जल संवर्धन व 1 (viii) सड़क सम्पर्कता के अनुज्ञेय कार्यों के अनुक्रम में लागू की जावेगी।

2. कार्यक्षेत्र –

2.1 उपयोजना "**शांतिधाम**" का कार्य क्षेत्र महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म.प्र. में शामिल समस्त जिले होंगे। योजना का क्रियान्वयन ऐसे समस्त ग्रामों में जहाँ अंतिम संस्कार हेतु समुचित व्यवस्था–युक्त एवं पूर्ण रूप से विकसित श्मशान भूमि/कब्रिस्तान नहीं हैं अथवा ऐसे ग्राम जहाँ पर अंतिम संस्कार हेतु दूसरे ग्राम में स्थित श्मशान भूमि/कब्रिस्तान का उपयोग करना पड़ता है, को प्राथमिकता से चयनित किया जावे।

2.2 चूँकि प्रत्येक सम्प्रदाय के अंतिम संस्कार का स्थल पृथक–पृथक होता है। अतः श्मशान भूमि/कब्रिस्तान का प्रस्ताव पृथक–पृथक तैयार किया जावे।

2.3 गाँव में निवासरत् परिवारों में से जिस सम्प्रदाय के परिवारों की संख्या अधिक है, को आधार मानते हुये श्मशान भूमि/कब्रिस्तान का प्राथमिकता क्रम का निर्धारण किया जावे।

2.4 उपयोजना के क्रियान्वयन के लिये प्रथम चरण में ऐसे ग्रामों का चयन किया जाएगा जिनकी जनसंख्या 5 हजार से अधिक हो। द्वितीय चरण में ऐसे ग्रामों का चयन किया जाएगा जिनकी जनसंख्या 5 हजार से कम किन्तु 3 हजार से अधिक हो। तृतीय चरण में ऐसे ग्रामों का चयन किया जाएगा, जिनकी जनसंख्या 3 हजार से कम हो।

2.5 शांतिधाम उपयोजना का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्र की शासकीय भूमि पर किया जावेगा। वक्फ की भूमि पर होने पर भी यह कार्य कराया जा सकता है। "निजी अथवा सार्वजनिक ट्रस्ट की भूमि पर उक्त कार्य नहीं कराये जा सकेंगे।"

3. प्रस्तावित कार्य –

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म.प्र. के तहत "**शांतिधाम**" उपयोजना अंतर्गत निम्नानुसार कार्य लिये जा सकेंगे –

3.1 भूमि समतलीकरण कार्य।

3.2 श्मशान भूमि/कब्रिस्तान के चारों ओर छायादार जैसे नीम, बरगद, पीपल, गुलमोहर, गूलर, पाकड़ आदि तथा फूल वाले जैसे – बोगनबेलिया, कन्हेर आदि का वृक्षारोपण तथा शांतिधाम स्थल के चारों कोने पर बाँस का वृक्षारोपण कार्य।

3.3 शांतिधाम स्थल विकसित करने हेतु प्रस्तावित स्थल के अंदर या समीप पानी की समुचित व्यवस्था न होने पर कुँआ अथवा स्थल के समीप नदी/नाला होने की स्थिति में स्टापडैम/चैकडैम का निर्माण ।

3.4 श्मशान भूमि में शवदाह हेतु 02 कच्चे चबूतरे (एंगल पोस्टसहित) अथवा कब्रिस्तान विकसित करने की स्थिति में नमाज अदा करने के लिये मिट्टी/मुरम भराई कर एक कच्चे चबूतरे का निर्माण।

3.5 शांतिधाम स्थल एवं आबादी को जोड़ने वाला सिंगल लेन (चौड़ाई 3.5 मीटर व सेक्शन आवश्कतानुसार) एवं शांतिधाम स्थल के अंदर (चौड़ाई 3.0 मीटर व सेक्शन आवश्कतानुसार) जी.एस.बी. स्तर तक का सड़क निर्माण कार्य।

3.6 सुरक्षा व्यवस्था हेतु सी.पी.टी./ड्राई बोल्डर्स वॉल/वानस्पतिक आच्छादन जैसे – कटीली झाड़ियाँ, मेंहदी, नागफनी, करोंदा, जेट्रोफा आदि कार्य किया जावेगा।

3.7 कण्डिका 3.1 से 3.6 तक के कार्य मजदूरी व सामग्री का 60:40 अनुपात ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित करते हुये कराये जावें।

3.8 श्मशान भूमि/कब्रिस्तान में यादगार स्वरूप वृक्षारोपण करने वालों के लिये स्मृति–वन का पृथक से भूमि का प्रावधान कर सुरक्षित करने की व्यवस्था।

4 आयोजना व क्रियान्वयन :

4.1 स्थल चयन –

4.1.1 ग्रामीण क्षेत्र की वह भूमि जो विवादास्पद न हो और जिसका उपयोग श्मशान भूमि/कब्रिस्तान के रूप में पूर्व से किया जा रहा हो, इस हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी (नायब तहसीदार से निचले स्तर का न हो) द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण--पत्र प्राप्त कर स्थल का चयन करना।

4.1.2 ऐसी शासकीय भूमि जिसका उपयोग श्मशान भूमि/कब्रिस्तान के रूप में पूर्व से किया जा रहा हो एवं गाँव के नजदीक व आबादी से दूर हो, को प्राथमिकता। यदि किसी ग्राम में कब्रिस्तारन हेतु वक्फ बोर्ड की भूमि उपलब्ध हो, तब वक्फ बोर्ड के प्रस्ताव पद कब्रिस्तारन स्थल का चयन किया जा सकेगा।

4.1.3 ऐसे ग्राम जहाँ पर श्मशान भूमि/कब्रिस्तान हेतु भूमि नहीं है, को राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी से भूमि का आवंटन प्राप्त कर स्थल चयन किये जावें।

4.1.4 किसी व्यवक्ति द्वारा दान में दी गई भूमि पर भी नियमानुसार दानपत्र प्राप्त कर **"शांतिधाम"** उपयोजना का क्रियान्वयन किया जावे।

4.1.5 चयनित स्थल का सीमांकन नायब तहसीदार स्तर के अधिकारी से कराया जावे।

4.2 प्रस्ताव का अनुमोदन –

4.2.1 ग्राम पंचायत चयनित भूमि का क्षेत्रफल, पानी की व्यवस्था, आबादी से दूरी आदि बातों को ध्यान में रखते हुये **अनुलग्नक–1** में श्मशान भूमि/कब्रिस्तान के लिये प्रस्ताव तैयार कर ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त करेगी।

4.2.2 उपरोक्तानुसार तैयार प्रस्ताव ग्राम पंचायत को प्रेषित किया जावेगा। ग्राम पंचायत अपनी बैठक में **"शांतिधाम"** उपयोजना के तहत प्राप्त सभी प्रस्ताव अनुमोदित करेगी, तत्पश्चात् जनपद एवं जिला पंचायत से अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा।

4.2.3 त्रिस्तारीय पंचायती राज संस्थाओं से अनुमोदित प्रस्ताव को ही शैल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा।

4.2.4 चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में श्मशान भूमि/कब्रिस्तान विकास के कार्य नहीं किये गये हैं, अतएव प्रारम्भिक वर्षों में उक्त कार्यों की अत्याधिक संख्या में मांग किये जाने की संभावना है। जिले में उपयोजना अंतर्गत अधिक मात्रा में प्रस्ताव प्राप्त होने की दशा में प्राप्त समस्त प्रस्तावों का समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करते हुये क्रियान्वित किये जाने हेतु जिला स्तर पर एक समिति का गठन (परिशिष्ट–1 अनुसार) किया जावेगा। उक्त समिति की अनुशंसा एवं जिले के योजनांतर्गत लेबर बजट के दृष्टिगत् प्राथमिकता से लिये जाने वाले कार्यों के साथ उपयोजना **"शांतिधाम"** के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम् किये जाने वाले कार्यों की संख्या का निर्धारण, जिला कलेक्टर द्वारा वित्तीय वर्षवार एवं जनपद पंचायतवार प्राथमिकता क्रम दर्शाते हुये किया जावेगा। तदानुसार कार्यों का अनुमोदन व क्रियान्वयन किया जावेगा।

4.3 परियोजना प्रस्ताव तैयार करना –

4.3.1 कण्डिका क्र. 4.2.1 के अनुसार ग्राम पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों में से वार्षिक कार्य योजना में शामिल कार्यों के विस्तृत परियोजना प्रस्ताव वित्तीय वर्षवार एवं

ग्राम पंचायतवार उपयंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा तैयार किये जावेंगे। उपयोजना "शांतिधाम" के निर्देशों के साथ संलग्न विकसित किये जाने वाले स्थल का ले–आउट प्लान मार्गदर्शी है। "शांतिधाम" विकसित किये जाने हेतु उपलब्ध भूमि के आकार एवं क्षेत्रफल के आधार पर मार्गदर्शी प्लान को ध्यान में रखते हुये वास्तविक प्लान तैयार किया जावे। कण्डिका क्रमांक 3 में दर्शित कार्यों में से लिये जाने वाले कार्यों को स्थल की आवश्यकतानुसार लेते हुये परियोजना प्रस्ताव में समावेश किया जावेगा।

4.3.2 प्रत्येक कार्य स्थल के लिये पृथक–पृथक प्रस्ताव तैयार किया जावेगा।

4.3.3 प्रस्ताव में वृक्षारोपण के लिये सिंचाई व्यवस्था एवं श्मशान भूमि/कब्रिस्तान हेतु मरम्मत कार्य का समुचित प्रावधान किया जावे।

4.3.4 श्मशान भूमि/कब्रिस्तान को विकसित करने में कण्डिका क्रमांक 3 में दर्शाये गये कार्यों के अतिरिक्त कार्य जैसे – शैड का निर्माण, सूखी लकड़ी एवं अन्य सामग्री के भण्डारण हेतु कच्चा भवन, पीने के पानी की व्यवस्था हेतु टंकी, मोटर, पाईप–लाईन, नल फिटिंग व नहाने के लिये 2–3 पार्टीशनयुक्त खुले छत वाले स्नानागार, पक्का प्रवेश द्वार आदि कार्य कराये जाने की आवश्यकता हो तो उक्त कार्यों को भी सम्मिलित करते हुये, उपयोजना का प्रस्ताव एकजाई रूप से तैयार किया जावे।

4.3.5 उपयोजना का एकजाई रूप से तैयार किये जाने वाला प्रस्ताव दो भागों में होगा। प्रथम भाग में कण्डिका क्रमांक 3 में दर्शाये गये कार्यों को शामिल कर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. के अंतर्गत विकलनीय किया जावेगा। दूसरा भाग जिसमें पक्के कार्य जैसे–शैड का निर्माण, सूखी लकड़ी के भण्डारण हेतु कच्चा भवन, पीने के पानी की व्यवस्था हेतु टंकी, मोटर, पाईप–लाईन, नल फिटिंग, स्नानागर, आदि निर्माण कार्य जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. में अनुज्ञेय नहीं है, का समावेश होगा।

5. उपयोजना की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति :

5.1 उपयोजना के अंतर्गत तैयार किये गये प्रस्ताव में यदि केवल कण्डिका क्रमांक 3 में दर्शाये गये कार्यों का ही समावेश है, तो इसकी तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की गाईड लाईन के अनुसार समय–समय पर जारी निर्देशों एवं प्रावधानों के अनुरूप जारी की जावेगी। उपयोजना अंतर्गत

ऐसे कार्य जो कण्डिका क्रमांक 3 में दर्शाये गये कार्यों के अतिरिक्त हैं एवं योजनांतर्गत नहीं कराये जा सकते हैं, के लिये कन्वर्जेन्स के तहत जारी निर्देशों एवं प्रावधानों के अनुरूप तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जावेगी।

5.2 प्रस्ताव का द्वितीय भाग जो कि किसी अन्य योजना की मद के अंतर्गत विकलनीय होगा, की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति संबंधित योजना के नियमों के अंतर्गत प्रदान की जावेगी।

5.3 कण्डिका क्रमांक 3 में दर्शाये गये कार्यों के अतिरिक्त निर्माण कार्यों के लिये किसी दानदाता द्वारा दान स्वरूप दान राशि दी जाती है, तो उक्त कार्यों का भी समावेश कर पृथक से प्राक्कलन तैयार किया जावेगा। उक्त कार्यों पर व्यय दानदाता द्वारा ग्राम पंचायत को दी गई राशि में से किया जावेगा, जिसका लेखा–जोखा संबंधित दानदाता को ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।

6. **क्रियान्वयन एजेन्सी :**

उपयोजना के अंतर्गत राशि रू. 5.00 लाख तक के स्वीकृत प्रस्तावों के लिये संबंधित ग्राम पंचायत एवं राशि रू. 5.00 लाख से अधिक के कार्यों के लिये ग्रामीण यांत्रिकी सेवा क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में कार्य कर सकेंगे।

7. **कार्यों की गुणवत्ता :**

7.1 कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जावे। इसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जावे।

7.2 कार्य के क्रियान्वयन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का वर्कस् डिपार्टमेन्ट मेनुअल के अनुसार समय–समय पर प्रयोगशाला परीक्षण कराया जावे।

7.3 कार्यों में गुणवत्ता बनाये रखने के लिये सहायक यंत्री, एन.आर.ई.जी.एस./ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पूर्णतः जिम्मेदार होंगे।

7.4 उपयोजना के अंतर्गत श्मशान भूमि/कब्रिस्तान विकसित करने का कार्य किसी भी क्रियान्वयन एजेंसी से कराया गया हो, नोड्ल अधिकारी के रूप में कार्यरत सहायक यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/सहायक यंत्री NREG गुणवत्ता सुनिश्चित् करने के लिये उत्तरदायी होंगे।

8. **एक्जिट प्रोटोकॉल**

विभाग के आदेश क्रं. 3665/22/वि–7/ग्रा.यां.से./06 दिनांक 22.06.2006 में ग्रामीण विकास विभाग के तहत किये जाने वाले निर्माण कार्यों का एक्जिट प्रोटोकॉल तैयार किये

जाने बावत् दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। इन दिशा–निर्देशों के अनुरूप "**शांतिधाम**" उपयोजना के कार्यों के एक्जिट प्रोटोकॉल अनिवार्यतः संधारित किये जावेंगे।

9. **कार्यों की मानीटरिंग एवं रिपोर्टिंग**

9.1 उपयोजना के तहत प्रस्तावित कार्य में वह भाग जो कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म.प्र. के अंतर्गत विकलनीय होगा, के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरतने, निगरानी, मूल्यांकन, कार्य की माप एवं मजदूरी का भुगतान, रिकार्ड एवं लेखा संधारण तथा अन्य अभिलेखों के संधारण के संबंध में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. के तहत समय–समय पर जारी निर्देश यथावत लागू होंगे।

9.2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा "**शांतिधाम**" के कम से कम 10 प्रतिशत कार्यों की समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग सुनिश्चित् की जावेगी।

9.3 जनपद पंचायत अंतर्गत पदस्थ सहायक यंत्री, एन.आर.ई.जी.एस./आर.ई.एस. तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी व कार्यक्रम अधिकारी समस्त कार्यों की समयबद्ध कियान्वयन की मानीटरिंग करेंगे।

9.4 राज्य स्तरीय क्वालिटी मॉनीटरों द्वारा इन कार्यों की भ्रमण के दौरान मॉनीटरिंग की जावेगी।

9.5 "**शांतिधाम**" उपयोजना के अंतर्गत कार्यों की मासिक जानकारी संलग्न प्रपत्र (अनुलग्नक–2) में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद को प्रेषित की जावेगी।

अतएव "**शांतिधाम**" उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन हेतु समुचित कार्यवाही शीघ्र प्रारम्भ की जावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

Desktop/Kankane/Circular/Muktidham-7

पृष्ठा. क्रं./7316/एनआरईजीएस.–एम.पी./एनआर–3/17/10 भोपाल, दिनांक 15/07/2010

प्रतिलिपि :

1. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. सचिव, राज्य योजना मण्डल विन्ध्याचल भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ। ।
5. मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विन्ध्याचल भवन भोपाल।
6. समस्त कमिश्नर, संभाग म.प्र.।
7. समस्त अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मण्डल म.प्र.।
8. समस्त कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग म.प्र.।
9. समस्त सहायक यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/NREGS संभाग म.प्र.।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत समस्त जिले म.प्र.।

प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

अनुलग्नक–1

"शांतिधाम" उपयोजना के अंतर्गत स्थल चयन का प्रस्ताव

1. ग्राम का नाम – .....
2. ग्राम पंचायत का नाम – .....
3. जनपद पंचायत का नाम – .....
4. शासकीय भूमि पर श्मशान/कब्रिस्तान या वक्फ बोर्ड की भूमि पर कब्रिस्तान के विकास हेतु लिये जाने वाले कार्यों का विवरण –

क्रं.	कार्य का नाम	कार्य की मात्रा/संख्या	अनुमानित लागत (लाख में)	रिमार्क
1	2	3	4	5
1				
2				
3				

नोट – उक्त सूची में दानदाता द्वारा प्रस्तावित कार्यों को भी शामिल किया जावे।

5. भूमि की उपलब्धता संबंधी टीप –

   ii. प्रस्तावित भूमि का रकबा –
   iii. खसरा नम्बर –
   iv. भूमि का उपयोग –
   v. आबादी से दूरी –
   vi. समीपस्थ जलस्रोत की व्यवस्था की स्थिति –

6. वरिष्ठ अधिकारी की अनुशंसा संबंधी टीप –

7. प्रस्तावित श्मशान भूमि/कब्रिस्तान का विकास अन्य किसी योजना के विचाराधीन होने की स्थिति (हाँ/नहीं) –

सचिव के हस्ता/–
नाम – .....

सरपंच के हस्ता/–
नाम – .....

परिशिष्ट – 1

उपयोजना शांतिधाम अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों की समयबद्ध कार्ययोजना तैयार किये जाने हेतु जिला स्तरीय समिति

क्र.	पदनाम	समिति में धारित पद
1	2	3
1	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	सचिव
3	जिला ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिकारी	सदस्य
4	जिला पंचायत अध्यक्ष	सदस्य
5	समस्त जनपद पंचायत अध्यक्ष	सदस्य
6	जिला कलेक्टर द्वारा नामित विभिन्न सम्प्रदायों के 3 प्रतिनिधि	सदस्य

उक्तानुसार गठित समिति निम्नानुसार दायित्वों का निर्वाहन करेगी :–

1. जिले में उपयोजना अंतर्गत लिये जा सकने वाले अधिकतम् कार्यों की वित्तीय वर्षवार संख्या का निर्धारण।
2. जनपद पंचायतवार उपयोजना अंतर्गत समयबद्ध कार्य योजना तैयार करना।
3. "**शांतिधाम**" उपयोजना के तहत NREGS-MP के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों जो NREGS से नहीं कराये जा सकते जैसे – पानी की टंकी, मंदिर, प्रवेश द्वार, चौकीदार हट आदि कार्यों को दानदाता या अन्य किसी मद से संयोजन कर कराये जाने हेतु राशि की व्यवस्था।

नोट – कलेक्टर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सभी को मान्य होगा।

अनुलग्नक – 2

"शांतिधाम" उपयोजना की प्रगति की एक्जाई (उपयोजना प्रारंभ से) जानकारी, माह ..... वर्ष .....

दिनांक .....

जिला .....

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	उपयोजना अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की संख्या	उपयोजना अंतर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण															
			भूमि समतलीकरण कार्य		शांतिधाम स्थल के चारों ओर पौध रोपण कार्य		सुरक्षा व्यवस्था हेतु सी.पी.टी./ड्राय बोल्डर्स वॉल		शवदाह/नमाज अदा करने हेतु चबूतरे का निर्माण		शांतिधाम स्थल के अंदर एवं शांतीधाम को जोड़ने वाला जी.एस.बी. सड़क निर्माण कार्य		पानी की व्यवस्था हेतु स्वीकृत कार्यों का विवरण				कुल स्वीकृत राशि (रू. लाख में)
			कुल क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	राशि (रू. लाख में)	संख्या	राशि (रू. लाख में)	कुल मात्रा (घ.मी.)	राशि (रू. लाख में)	कुल मात्रा (घ.मी.)	राशि (रू. लाख में)	लम्बाई (कि.मी.)	राशि (रू. लाख में)	कूपों की संख्या	राशि (रू. लाख में)	स्टाप डैम/चैक डेम की संख्या	राशि (रू. लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	

"शांतिधाम" उपयोजना की प्रगति की एकजाई (उपयोजना प्रारंभ से) जानकारी, माह ..... वर्ष .....

जिला .....

दिनांक .....

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	उपयोजना अन्तर्गत प्रारंभ कार्यों की संख्या	प्रतिवेदित माह के अंत तक प्रगतिरत/पूर्ण कार्यो की प्रगति का विवरण															प्रतिवेदित माह के अंत तक पूर्ण कार्यों की संख्या	एक्जिट प्रोटोकॉल कराए गए कार्यों की संख्या
			भूमि समतलीकरण कार्य		शांतिधाम के चारों ओर पौध रोपण कार्य		सुरक्षा व्यवस्था हेतु निर्मित सी.पी.टी./ड्राय बोल्डर्स वॉल का विवरण		शवदाह/नमाज अदा करने हेतु निर्मित चबूतरे का विवरण		निर्मित जी.एस.बी. सड़क निर्माण कार्य का विवरण		पानी की व्यवस्था हेतु निर्मित कार्यों का विवरण				कुल व्यय राशि (रू. लाख में)		
			कुल विकसित क्षेत्रफल (व. मी.)	व्यय राशि (रू. लाख में)	कुल रोपित पौधों की संख्या	व्यय राशि (रू. लाख में)	कुल मात्रा (घ.मी.)	व्यय राशि (रू. लाख में)	कुल मात्रा (घ.मी.)	व्यय राशि (रू. लाख में)	लम्बाई (कि.मी.)	व्यय राशि (रू. लाख में)	प्रगतिरत /पूर्ण कूपों की संख्या	व्यय राशि (रू. लाख में)	प्रगतिरत /पूर्ण स्टाप डैम/चैक डैम की संख्या	व्यय राशि (रू. लाख में)			
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत : .....

अनुलग्नक – 3

"शांतिधाम" हेतु एक्जिट प्रोटोकाल संधारण का प्रपत्र

जिले का नाम

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कार्य का नाम/वर्क कोड	S.O.P. कं	प्रशासकीय स्वीकृति का विवरण		तकनीकी स्वीकृति का विवरण		कार्य प्रारम्भ होने का दिनांक	कार्य पूर्ण होने का दिनांक	कार्य की कुल वास्तविक लागत	कार्य पर सृजित मानव दिवस	विकसित शांतिधाम स्थल का विवरण					
													NREGS मद से					
					क्रमांक व दिनांक	राशि (रू. में) लाख	क्रमांक व दिनांक	राशि (रू. में) लाख					विकसित शांतिधाम का क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	शांतिधाम के चारों ओर रोपित वृक्षों की संख्या	निर्मित कच्चे चबूतरे का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	पीने के पानी की व्यवस्था		निर्मित सड़क (G.S.B. स्तर) की लम्बाई (कि.मी. में)
																निर्मित कूपों की संख्या	निर्मित स्टापडैम/चैकडैम की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		

अनुलग्नक – 3

"शांतिधाम" हेतु एक्जिट प्रोटोकाल संधारण का प्रपत्र

विकसित शांतिधाम स्थल का विवरण										शांतिधाम स्थल के रखरखाव की जानकारी			सामाजिक अंकेक्षण का दिनांक	निगरानी समिति के निरीक्षण का दिनांक	संरचना के उपयोग संबंधी टीप	संरचना हस्तांतरण दिनांक
NREGS मद से			Convergence मद से							निरीक्षण दिनांक	रखरखाव पर व्यय (लाख में)	रखरखाव के कार्य का संक्षिप्त विवरण				
सुरक्षा व्यवस्था हेतु			निर्मित शौचालय की संख्या	भण्डारण हेतु निर्मित भवनों की संख्या	निर्मित पक्के प्रवेश द्वारों की संख्या	पानी की टंकी की संख्या	निर्मित मंदिरों की संख्या	निर्मित स्नानागारों की संख्या	अन्य							
सी.पी.टी. की लम्बाई (मीटर में)	ड्राई बोल्डर्स वॉल की लम्बाई (मीटर में)	वायरबैड वायर फेंसिंग की लम्बाई (मीटर में)														
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत ———

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59 "सी" विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र./7117/ NR-4/10 भोपाल, दिनांक 12/07/10

प्रति,

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम– म.प्र
जिलाः– समस्त

विषय :– महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीन–म.प्र. अंतर्गत अकुशल श्रमिकों का भुगतान बैंक के माध्यम से किए जाने विषयक।

संदर्भ :– मध्यप्रदेश शासन का पत्र क्र. 5992/MGNREGS-MP/2010 भोपाल दिनांक 10/05/2010

———000———

विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र से मध्यप्रदेश शासन द्वारा बैंक/पोस्ट ऑफिस से मजदूरी भुगतान में होने वाले विलंब को दूर करने हेतु पाक्षिक रूप से 1 से 8 ग्राम पंचायतों का क्लस्टर बनाकर मजदूरी भुगतान के विलंब के आधार पर ग्राम रोजगार दिवस आयोजित कर मजदूरी भुगतान के प्रकरणों का निपटारा किए जाने के निर्देश प्रसारित किए गए हैं।

उक्त निर्देशों के परिपालन में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट माह जून एवं जुलाई की अगले माह की 10 तारीख तक निर्धारित प्रारूप में परिषद् कार्यालय को भेजा जाना है।

कृपया आवश्यक कार्यवाही कर जानकारी समय सीमा में परिषद् कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा आदेशित)

(डॉ. राजीव सक्सेना) 12.7.10
संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्